संख्या- 4/4291/24-1-13-2683(बजट)/2012

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में पावरलूम बुनकरों के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-994/म0प्र0/विप्र-2/उपयोगिता/2010, दिनांक 11.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को पावरलूम बुनकरों के बिजली के बकाया बिलों के भुगतान हेतु सामान्य बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 45,75,00,000/- (रूपये पैंतालिस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या:- 1039/24-1-13-2683/2012, दिनांक 03.04.2013 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 22,87,95,000/- (रूपये बाइस करोड़ सत्तासी लाख पन्चानवे हजार मात्र) को स्वीकृत कर आहरित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेग।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-आयोजनेत्तर-05- संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-09-पावरलूम बुनकरों के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-225/दस-2013, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- 4291(1)/24-1-13, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in